न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :श्री कल्पित शिवरान आरएएस

वाद संख्या : 25/2025

वादीगण :

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी मेहलिया तहसील भादरा।
2. विजेन्द्र कुमार पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी मेहलिया तहसील भादरा।
3. रामकुमार खोलायत पुत्र घड़सीराम जाति जाट निवासी मेहलिया तहसील भादरा।

:– वादीगण

बनाम

1. रामप्यारी पत्नी घड़सीराम जाति जाट निवासी मेहलिया तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।
3. पंजाब नेशनल बैंक शाखा भादरा जरिए शाखा प्रबंधक।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री सलमान खान : वादीगण

वकील श्री नवीन गोयल : प्रतिवादी संख्या 1

निर्णय

दिनांक : 18.06.2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मेहलिया के खाता संख्या 79/76 के खसरा संख्या 192, 199, 205/2, 205/3 तथा 84/1 की कुल खसरा 5 की 13.065 है0 भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 रामप्यारी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की सहदायिक पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी संख्या 3 रामकुमार प्रतिवादी संख्या 1 का खौलायत पुत्र है। प्रतिवादी संख्या 1 को वादभूमि अपने पति घड़सीराम के देहान्त होने पर प्राप्त हुई है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज वादभूमि में अपने खातेदारी हकों की घोषणा बावत वाद पेश किया।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 2 द्वारा जवावदावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 बावजूद तामील के उपस्थित नहीं आये उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में सुरेन्द्र सिंह पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी मेहलिया तहसील भादरा। के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी रोही मौजा मेहलिया खाता संख्या 79/76 सम्वत 2076–76 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही मौजा मेहलिया सम्वत 39 प्रदर्श 2, सदस्य प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत बौझला प्रदर्श 3 दस्तावेज कागज खौलानामा रामप्यारी चित्रप्रति प्रदर्श 4 ए प्रदर्शित करवाये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौरान बहस वकील वादी ने [illegible] तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की सहदायिकी पैतृक कृषि भूमि है [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 के साथ–साथ वादीगण का भी जन्म से [illegible] प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हकों पर विपरित असर पड़ता है तथा वकील वादी ने 2003(2) SUPREME 276 [illegible]धिक दृष्टांत पेश किये। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम मेहलिया

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.07.10 14:04:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(न्य)ायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :श्री कल्पित शिवरान आरएएस

(प्रक)रण सं0 : 25/2025

(वादी)गण :

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी मेहलिया तहसील भादरा।
2. विजेन्द्र कुमार पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी मेहलिया तहसील भादरा।
3. रामकुमार खोलायत पुत्र घड़सीराम जाति जाट निवासी मेहलिया तहसील भादरा।

:– वादीगण

बनाम

1. रामप्यारी पत्नी घड़सीराम जाति जाट निवासी मेहलिया तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।
3. पंजाब नेशनल बैंक शाखा भादरा जरिए शाखा प्रबंधक।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील (व)ादी श्री सलमान खान एवं वकील प्रतिवादीगण श्री नवीन गोयल की उपस्थिति में निर्णय हेतु (प्र)स्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है (त)था घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेहलिया के खाता संख्या 79/76 के खसरा संख्या (1)92, 199, 205/2, 205/3 तथा 84/1 कुल खसरा 5 की 13.065 है0 बारानी खातेदारी (प्र)तिवादी संख्या 1 रामप्यारी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी (सं)0 1 रामप्यारी अकेले की बजाय वादी संख्या 1 सुरेन्द्र सिंह, वादी संख्या 2 विजेन्द्र कुमार (व)ादी संख्या 3 रामकुमार तथा प्रतिवादी संख्या 1 रामप्यारी को बहिस्सा बराबर के खातेदार (घ)ोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.06.2025 को मेरे ... एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.07.10 14:04:56 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner